स्मरण पत्र –5

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांकः–एफ.11(7)मो./राज. सम्पर्क ट्यूर/आईसीडीएस/17/166415 ७१४ जयपुर, दिनांकः 25/1/19

1. समस्त संबंधित जिला प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय (State Level Officers)।
2. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग (District Level Officers)।
3. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी (Block Level Officers)।

विषयः–दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम इत्यादि के लक्ष्य एवं क्रियान्विति राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के ट्यूर मॉड्यूल्स में अंकित करने बाबत।

प्रंसगः–निदेशालय के पूर्व आदेश 60025 दिनांक 17.04.18 एवं दिनांक 15.06.18 एवं 140550–904 दिनांक 03.08.18 एवं 168264–613 दिनांक 17.09.18 एवं पत्रांक 197410–760 दिनांक 15.11.18

विषयान्तर्गत एव प्रासांगिक प्रकरण में प्रशासनिक सुधार विभाग के निर्देश दिनांक 08.04.15 तथा दिनांक 15.03.2017 एवं तदूपरान्त जारी निर्देशों के अनुसरण में विभागीय अधिकारियो के दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम इत्यादि का विवरण राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के ट्यूर मॉडूल्स पर अनिवार्यतः दर्ज करने के निर्देश दिये गये है। उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के ट्यूर मॉडूल्स पर सभी राज्यस्तरीय अधिकारियों, उप निदेशक तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियों के भ्रमण, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के निर्धारित वार्षिक लक्ष्य (Target) उनके सम्मुख अंकित कर दिये गये है। लेकिन राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के ट्यूर मॉडूल्स पर अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा माह जनवरी, 2019 तक भी निर्धारित समयावधि में दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के तय लक्ष्यों के अनुरूप क्रियान्विति ट्यूर मॉडूल्स पर कही अधिकारियों द्वारा न्यून/नगन्य अंकित की गई है। जबकि निदेशक महोदया द्वारा पत्र दिनांक 15.11.18 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके है, लेकिन प्रतिउत्तर अप्राप्त है।

अतः सभी विभागीय अधिकारियो अवगत कराया जाता है कि उक्त निर्देश 15.11.18 के अनुसार कार्यवाही करते हुए उन्हें आंवटित लक्ष्यों के अनुरूप निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दौरे, निरीक्षण इत्यादि कर उनकी सूचना तय समयानुसार राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अपने आई.डी. में अनियवार्यतः अंकित जाना सुनिश्चित किया जावें।

(रामावतार मीणा–प्रथम)
अतिरिक्त निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः–एफ.11(7)मो./राज. सम्पर्क ट्यूर/आईसीडीएस/17 166415 जयपुर, दिनांकः 25/1/19

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर एवं उप निदेशक, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (आई)